निदेशालय,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांकःपं.21 / प्रशा / विविध / 3 / दिनांकः 5.04.2012

कार्यालय आदेश संख्या 68 / 2012

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 410 / 2010 दिनांक 01.10.10 के अधिलंघन में गृह (ग्रुप–5) विभाग के आदेश संख्या प.3(23)गृह–5 / 2005 दिनांक 3.10.05 एवं परिपत्र दिनांक 11.08..06 को अधिक्रमित / संशोधित करते हुए जारी गृह (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश संख्या प.3(25)गृह–6 / 2007 दिनांक 03.05.2007 के परिशिष्ट की निरन्तरता में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 341 / 2011 दिनांक 26.08.11 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शैलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक, को निदेशालय में राज्य लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किया जाता है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम– श्री शैलेन्द्र सिंह
पदनाम–अतिरिक्त, निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, निदेशालय जयपुर
दूरभाष कार्यालय–0141–2744609
मोबाईल नं.– 9462194999
फैक्स नं. 0141–2740193
ई.मेल पता– dir-lfad-rj@nic.in

ह0
निदेशक

क्रमांकः प.2(च) 2 / प्रशा / विविध / नि.अ. / 06 / पार्ट–II / एस–958–69 दिनांकः 5.04.1212

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–प्रमुख शासन सचिव,गृह (ग्रुप–6) विभाग, कमरा नं0–1112, मुख्य भवन,शासन सचिवालय, जयपुर।
2–संयुक्त सचिव, वित्त (समन्वय) (समन्वय) विभाग, राज0 जयपुर।
3–उप शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राज0 जयपुर।
4–श्री शैलेन्द्र सिंह,संयुक्त निदेशक, मुख्य कार्यालय, जयपुर।
5–अनुभाग प्रभारी–गोपनीय, स्थापना, लेखा, गबन, अंकेक्षण, रिपोर्ट एवं सतर्कता अनुभाग, मुख्य कार्यालय, जयपुर।
6–रक्षित पत्रावली।

ह0
निदेशक

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

निदेशालय,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान,जयपुर ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के चैप्टर II के अनुच्छेद 4 बी (ग) के अन्तर्गत सूचना अधिकारियों का विवरण :–

1	लोक सूचना अधिकारी मय पदनाम	श्री शैलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर राज्य लोक सूचना अधिकारी दूरभाष संख्या 0141–2740179, 2744609
2	लोक सूचना अधिकारी	श्री इन्द्र राज सिंह, अतिरिक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय–जयपुर–प्रथम राज्य लोक सूचना अधिकारी दूरभाष संख्या 0141–2740223
3	लोक सूचना अधिकारी	श्री महावीर प्रसाद मीणा,संयुक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर–द्वितीय राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या 0141–2740703
4	लोक सूचना अधिकारी	श्री गिरिश कच्छारा, संयुक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या **9828082942**
5	लोक सूचना अधिकारी	श्री पुरखाराम जयपाल, संयुक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या **9414140007**
6	लोक सूचना अधिकारी	श्री वी.बी. गोयल, संयुक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या **9928805905**
7	लोक सूचना अधिकारी	श्रीमती विधि शर्मा, उप निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या **9413624341**
8	लोक सूचना अधिकारी	श्री **राज कुमार दाधीच,** अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या **9829842835**
9	लोक सूचना अधिकारी	श्री बद्री लाल मीणा, संयुक्त निदेशक,स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर राज्य लोक सूचना अधिकारी, दूरभाष संख्या **94140509323**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

राजस्थान सरकार

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग

सूचना का अधिकार, 2005

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

स्थानीय निधि अंकेक्षण वभाग

राजस्थान, जयपुर ।

भारत सरकार विधायी (विधि एवं न्याय) विभाग द्वारा दिनांक 15.6.05 के गजट में प्रकशित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 4 (बी) के अन्तर्गत विभाग से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :–

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य की स्थापना के पूर्व से ही स्थानीय निकायों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता रहा था। इस कार्य को 15 नवम्बर,1953 से राजस्थान सरकार ने महालेखाकार से अपने नियंत्रण में ले लिया और इस हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की स्थापना 17 दिसम्बर, 1953 को की गई। स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 28) जारी किया गया। इस अधिनियम के तहत दिनांक 26 मई, 1956 को राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 जारी किये गये। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में अधिसूचना दिनांक 15.04.2011 के द्वारा धारा–18 जोडी गई है जिसके तहत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा **संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन** प्रति वर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा ।

इस क्रम में विभाग का संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 22 मार्च, 2013 को एवं वर्ष 2012–13 का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन दिनांक 20 फरवरी,2014 को राजस्थान विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा उपस्थापित किया गया।

इसके अलावा 13 वें वित्त आयोग की सिफारिश के क्रम में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.10 (5) वित्त/अंकेक्षण/2010 दिनांक 02.02.11 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के किये जा रहे अंकेक्षण में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को अधिकृत किया गया है। इस क्रम में विभागीय अधिकारियों ने महालेखाकार राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठके कर अंकेक्षण के विभिन्न पक्षों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान–जयपुर

संगठन,कार्य एवं उत्तरदायित्व

निदेशक

(विभागाध्यक्ष)

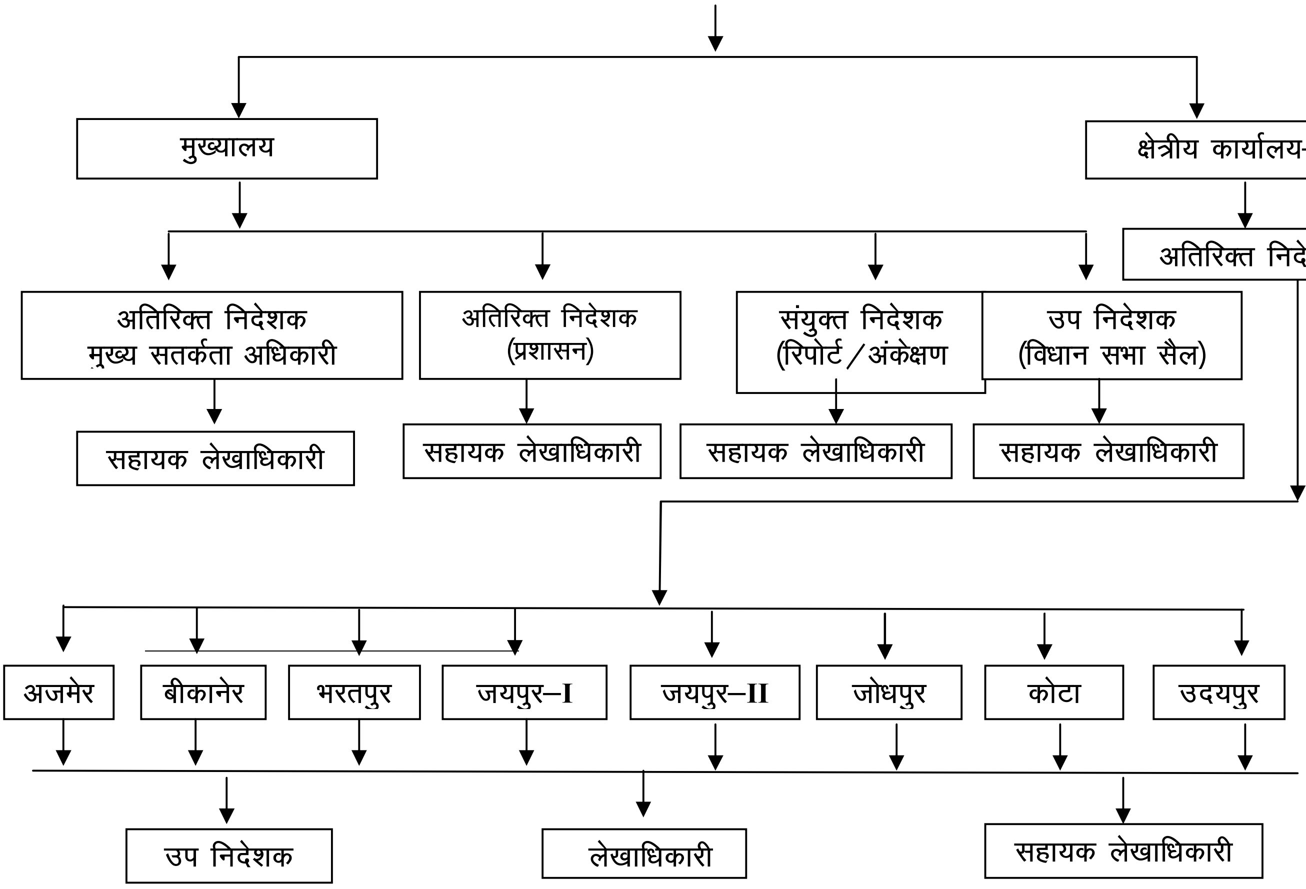

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dk; fooj.k %&

fun'kky; Lrj ij vfrfjDr fun'kd ¼i'kklu½ fun'kky; e dk;ky;k/;{k ?kkf"kr gA bud }kjk lokfu;ek@y[kkfu;ek e inRr 'kfDr;k d vUrxr {k=h; dk;ky;k@fun'kky; e inLFkkfir vf/kdkfj;k@depkfj;k d lok lc/kh idj.kk dk fuLrkj.k fd;k tkrk gA fun'kky; d lLFkkiu vuHkkx e inLFkkfir idj.k fyfid@idj.k lgk;d }kjk vuHkkx iHkkjh@dk;ky; v/kh{kd dk i=koyh iLrr dh tkrh gA vuHkkx iHkkjh@dk;ky; v/kh{kd }kjk idj.kk dh leh{kk i'pkr i=koyh vfrfjDr fun'kd ¼i'kklu½ dk iLrr dh tkrh gA depkfj;k dh fu;fDr@LFkkukrj.k@inkUufr@LFkk;hdj.k@p;fur orueku@lokfuofRr@vu'kklukRed dk;okgh@U;k;ky; idj.kk]fo/kkulHkk lcf/kr] Hk.Mkj ,o vU; egRoi.k uhfr fo"k;d idj.k fun'kd ¼foHkkxk/;{k½ dk fu.k;kFk iLrr gkr g ,o 'k"k lok lc/kh leLr idj.kk dk fuLrkj.k vfrfjDr fun'kd ¼i'kklu½ Lrj ij fuf.kr fd; tkr gA

¼v½ lLFkkiu vuHkkx %&

1- fun'kky;@{k=h; dk;ky;k d vf/kdkfj;k @depkfj;k d lokfHky[k dk l/kkj.k] vodk'k idj.k] okf"kd oru of)] oru fu/kkj.k]lok lR;kiu] i'ku idj.k ,o depkfj;k @vf/kdkfj;k d lok lc/kh fofo/k idj.kk dk fuLrkj.k A
2- foHkkx d e=kyf;d ,o prFk J.kh lok lox d depkfj;k dh fu;fDr] LFkkukrj.k] inkUufr]LFkk;hdj.k] lokfuofRr] p;fur orueku] vkfn dk;k dk fuLrkj.kA
3- foHkkx d vfHky[kkxkj dk l/kkj.k ,o vfHky[k fofu"Vhdj.k lc/kh dk;A
4- foHkkx e inLFkkfir v/khuLFk y[kk lok d vf/kdkfj;k@depkfj;k d inLFkkiu @ LFkkukrj.k lc/kh vfHky[kk dk l/kkj.k lc/kh dk;A
5- foHkkx e inLFkkfir vf/kdkfj;k@depkfj;k l lcf/kr lh-lh-,- fu;ek d vUrxr vu'kklukRed dk;okgh @ foHkkxh; tkp ,o U;k;ky;k e iLrr U;kf;d idj.kk lc/kh leLr dk; A
6- fu;e@vf/kfu;e@foHkkxh; fu;ekoyh] fo/kkulHkk ,o jkT; ljdkj l i=kpkj lc/kh dk;A
7- foHkkx e iklr gku okyh fofHkUu idkj dh f'kdk;rk@leL;vk dk fuLrkj.k lc/kh dk;A
8- dk;ky; 0;oLFkk ,o dk;ky; Hkou 0;oLFkk lc/kh dk;A
9- lLFkkiu vuHkkx l vf/kdkfj;k @ depkfj;k dh lok ifLrdk futh i=kofy;k d vykok lok ox@enokj i=kofy;k dk l/kkj.k fd;k tkrk g ,o lpukvk d ldyu@fu;=.k gr iftdkvk dk l/kkj.k fd;k tkrk gA

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

¼c½ xkiuh; vuHkkx

1- foHkkx d vf/kdkfj;k@ depkfj;k d okf"kd xkiuh; ifronuk l lcf/kr dk;A
2- foHkkx l lcf/kr vU; xkiuh; dk;A
3- vf/kdkfj;k dk Jfryf[kr ,o dEI;Vj dk;A

¼l½ y[kk 'kk[kk

1- ctV vkoVu ,o fu;=.k dk;
2- y[kk lc/kh dk;
3- lh-ih-,Q- lcf/kr dk;
4- vd{k.k 'kYd l lcf/kr dk;
5- y[kk dk vd{k.k djokuk ,o vuikyuk lc/kh dk;
6- jkdM lEcU/kh dk;

¼n½&vd{k.k vuHkkx

1- Lok;Rr'kk"kh lLFkkvk d vd{k.k gr vd{k.k dk;Øe dk fu/kkj.k] i;o{k.k ,o fu;=.k
2- cdk;k vk{kik dh vuikyuk ij fu;=.k ,o vfHky[kk dk l/kkj.k
3- Lok;Rr'kk"kh lLFkkvk d vd{k.k ,o vd{k.k lcf/kr lpukvk dk ldyu
4- ftyk Lrjh; cBd ,o vk{ki fujkdj.k vfHk;ku lcf/kr i=kpkj

¼;½ lrdrk vuHkkx ¼&

1- Lok;Rr'kk"kh lLFkkvk dh jkT; ljdkj }kjk funf'kr fo'k"k tkp
2- fo'k"k tkp ifronuk dh vuikyukvk l lcf/kr dk;
3- vd{k.k nyk l lcf/kr f'kdk;r ,o vkdfLed tkp

¼j½ ifronu vuHkkx

1- foHkkxh; vkfMV defV;k dh cBdk dk vk;ktu
2- xEHkhj vfu;ferrkvk@ik:i iky[k ,o xcu idj.kk dh leh{kk ,o iftdkvk dk l/kkj.k
3- lHkkx Lrjh; cBdk d vk;ktu dh leh{kk ,o iftdkvk dk l/kkj.k

¼y½ xcu o vfxe vuHkkx

1. Lok;Rr'kklh lLFkkvk d xcu idj.kk e lLFkkvk }kjk dh xbl dk;okgh dk vuJo.k
2- Lok;Rr'kklh lLFkkvk dh foRrh; lpukvk dk ldyuA¼vfxe] cd feyku vkfn½

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

{k=h; dk;ky;k e dk; vkoVu %&

lLFkkiu vuHkkx

dk;ky;/;{k dk vkofVr leLr dk;] {k=h; dk;ky; e inLFkkfir vf/kdkfj;k @ depkfj;k d lok lc/kh idj.kk dk fuLrkj.k]fu/kkfjr ii=k ij lok lc/kh iftdkvk dk l/kkj.k] lLFkku lc/kh lpukvk dk ldyu ,o i"k.k lc/kh dk;A vd{k.k dk;Øe iLrkfor dju ,o lLFkkvk d vd{k.k lcf/kr dk;] ftyk Lrjh;@lHkkx Lrjh; cBdk dk vk;ktu ,o fu.k;k dh fd;kfUofr]vd{k.k ifronuk dh leh{kk] xcu] pkt] ljpkt] xcu lcf/kr vfu;ferrkvk dh tkp ,o vfxe dk;okgh A dk;ky;] tkpnyk d dk; dk fu/kkfjr dk; ekin.Mku lkj vu:i fujh{k.k@i;o{k.k]dk;ky;@tkp nyk e dk;jr vf/kdkfj;k@depkfj;k d dk; dh leh{kk ,o okf"kd dk; eY;kdu lcf/kr dk; ,o fun'kd }kjk funf'kr vU; dk;A

vd{k.k vuHkkx

tkpnyk l ikIr vd{k.k ifronuk dh leh{kk dj] ifronuk dk oxhdj.k dj] rRlc/kh fVIi.kh iLrr djuk] Lok;Rr'kk"kh lLFkkvk ¼ xke ipk;r ,o lh-ih-,Q- lLFkkvk d vykok½ d vd{k.k ifronu tkjh djuk] vd{k.k ifronuk e mYyf[kr xEHkhj vfu;ferrkvk] ik:i iky[k] xcu idj.kk d lc/k e vfxe dk;okgh gr fVIi.kh iLrr djuk] vd{k.k lcf/kr iftdkvk dk l/kkj.k] lkef;d lpukvk dk ldyu djokuk ,o fHktoku dh dk;okgh djuk A lrdrk lc/kh dk; djuk ,o vfrfjDr@ l;Dr fun'kd }kjk funf'kr vU; dk; A

y[kk vuHkkx

vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh ,o y[kk 'kk[kk l lcf/kr dk;] vk{ki fuLrkj.k vfHk;kuk dk vk;ktu] ftyk Lrjh; ,o lHkkx Lrjh; ifronu r;kj dju ,o ijh{k.k djokuk] lLFkkvk l ikIr vuikyukvk ij leh{kk fVIi.kh iLrr djuk] xke ipk;rk ,o lh-ih-,Q- lLFkkvk d ifronu tkjh djuk] y[kk lc/kh lkef;d lpukvk dk ldyu ,o fHktoku lc/kh dk;] Hk.Mkj ,o vfHky[kkxkj ij lefpr fu;=.k ,o mPpkf/kdkfj;k }kjk funf'kr vU; dk; A

¼n½ xkiuh; vuHkkx

vf/kdkfj;k@depkfj;k d okf"kd dk; eY;kdu ,o vU; xkiuh; dk;] dk;ky; dk okf"kd fujh{k.k] dk;ky; }kjk lEikfnr fujh{k.k ,o ifronuk dh vuikyuk] foHkkxh; vf/kdkfj;k dh cBd ,o fu.k;k dh fØ;kfUofrA vfHky[k 0;oLFkk@vfHkj{k.k ,o fofuf"Vdj.k lcf/kr leLr dk; ,o rRlc/kh iftdkvk dk leLr dk;

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षैत्राधिकार–

निदेशालय के अधिनस्थ आठ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	कार्यालय	सम्पर्क सूत्र	क्षेत्राधिकार (जिले)	अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत अंकेक्षण दल	31.03. 2014 को कार्यरत अंकेक्षण दल
1	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–प्रथम, ज्योति नगर, जयपुर	फोन नं. 0141–2740223 Email Address: lfad-jpr1-rj@nic.in	(i) जयपुर (ii) सीकर	920	15	10
2	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय, ज्योति नगर, जयपुर	फोन नं. 0141–2740703 Email Address: lfad-jpr2-rj@nic.in	(i) दौसा (ii) झुंझुंनू (iii) अलवर	1068	13	10
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर क्लेक्टर परिसर, अजमेर – 305001	फोन नं. 0145–2627792 Email Address: lfad-ajm-rj@nic.in	(i) अजमेर (ii) भीलवाड़ा (iii) नागौर (iV) टोंक	1464	18	10
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर मॉ कृपा भवन, मैजर शैतानसिंह मार्ग, सब्जीमंडी के दूसरे गेट के सामने पावटा, जोधपुर – 342006	फोन नं. 0291–2650364 Email Address: lfad-jod-rj@nic.in	(i) जोधपुर (ii) पाली (iii) जैसलमेर (iV) बाड़मेर (V) सिरोही (Vi) जालौर	1711	20	15
5	क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर सी – 38 सार्दूलगंज, बीकानेर – 334003	फोन नं. 0151–2542354 Email Address: lfad-bik-rj@nic.in	(i) बीकानेर (ii) चुरू (iii) श्रीगंगानगर (iV) हनुमानगढ़	1144	15	11
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा उम्मेद भवन खेडली फाटक कोटा – 324001	फोन नं. 0744–2322210 Email Address: lfad-kot-rj@nic.in	(i) कोटा (ii) बारां (iii) बूँदी (iV) झालावाड़	887	12	10
7	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी संध, जनजाति विकास भवन, प्रतापनगर, उदयपुर – 313001	फोन नं. 0294–2494230 Email Address: lfad-uda-rj@nic.in	(i) उदयपुर (ii) चित्तौड़गढ (iii) राजसमन्द (iV) डूँगरपुर (V) बाँसवाड़ा (Vi) प्रतापगढ़	1789	19	12
8	क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर मंगल भवनम् पाई बाग, भरतपुर – 321001	फोन नं. 05644–224075 Email Address: lfad-bha-rj@nic.in	(i) भरतपुर (ii) धौलपुर (iii) सवाईमाधोपुर (iv) करौली	1015	12	8

निदेशालय स्तर पर 2 अंकेक्षण दल स्वीकृत है जो कार्मिक के अभाव में अगठित है।

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(1)वित्त/अंकेक्षण/2012 दिनांक 26.09.13 से विभाग में 52 नवीन जांचदलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनका क्षेत्रीय कार्यालयोंवार आवंटन निम्न प्रकार विचाराधीन है :-

क्र.सं.	नाम क्षेत्रीय कार्यालय	**स्वीकृत जांचदल**
1	जयपुर-प्रथम	6
2	जयपुर-द्वितीय	5
3	अजमेर	11
4	जोधपुर	06
5	बीकानेर	08
6	कोटा	04
7	उदयपुर	07
8	भरतपुर	05
	योग	**52**

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

विभाग द्वारा अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाये :–

स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। उक्त धारा–4 के अन्तर्गत समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थाओं की दिनांक.31.03.2014 की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम संस्थावर्ग	अजमेर	उदयपुर	कोटा	जयपुर प्रथम	जयपुर द्वितीय	जोधपुर	बीकानेर	भरतपुर	योग
1	जिला परिषद	4	6	4	2	3	6	4	4	33
2	पंचायत समितियॉ	36	48	23	21	27	44	27	23	249
3	ग्राम पंचायतें	1349	1656	804	817	985	1582	1039	944	9176
	योग	**1389**	**1710**	**831**	**840**	**1015**	**1632**	**1070**	**971**	**9458**
4	नगर निगम	1	1	1	1	0	1	1	0	6
5	परिषद	6	5	3	1	4	6	4	6	35
6	पालिकाएं	23	15	17	18	20	19	25	11	148
	योग	**30**	**21**	**21**	**20**	**24**	**26**	**30**	**17**	**189**
7	नगर सुधार न्यास	2	2	1	1	2	4	2	2	16
8	विकास प्राधिकरण	0	0	0	1	0	1	0	0	2
9	राजस्थान आवासन मण्डल	3	5	3	18	5	9	3	1	47
	योग	**5**	**7**	**4**	**20**	**7**	**14**	**5**	**3**	**65**
10	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	3	2	3	7	1	3	4	0	23
11	कृषि उपज मण्डी समितियॉ	21	24	14	10	12	17	20	10	128
	योग	**24**	**26**	**17**	**17**	**13**	**20**	**24**	**10**	**151**
12	जिला महिला विकास अभिकरण अभिकरण	4	6	4	2	3	6	4	4	33
13	देवस्थान मंदिर	1	4	1	1	0	1	1	2	11
14	राजस्थान पैंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना	5	6	4	5	3	6	4	4	37
15	मुख्यमंत्री सहायता कोष	4	6	4	2	3	6	4	4	33
16	अन्य संस्थाएं									
	1.दयानंद कॉलेज अजमेर	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	2.कॉटन प्रेस, किशनगढ़	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	3.गीता संगीतमंडल, मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	4.चेतना आरोग्य मंदिर एंव समाज सेवा समिति फलासियां, उदयपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	5.राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	6.भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, बारा	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	7.सचिवालय कोष,सचिवालय, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	8.राज0 होम्योपैथिक बोर्ड, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	9.राजस्थान ग्रामदान बोर्ड, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	10.इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	11.राजस्थान पुलिस कल्याण कोष,जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	12.राजस्थान बृजभाषा अकादमी, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	13.राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	14.संगीत नाटक अकादमी, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	15.राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	16.राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	17.राजस्थान महिला आयोग, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	18.आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	19.हिन्दी साहित्य अकादमी, जयपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	20.हितकारी निधि, बीकानेर	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	21.राजस्थान भाषा. साहित्य संस्कृत एंव अकादमी,बीकानेर	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	योग	**2**	**3**	**1**	**13**	**0**	**0**	**2**	**0**	**21**
	योग	**1464**	**1789**	**887**	**920**	**1068**	**1711**	**1144**	**1015**	**9998**

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

बकाया आक्षेपों के अनुश्रवण (मोनीटरिंग) की व्यवस्था

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण के अनुश्रवण हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प. 6(7)प्रसु/अनु–3 दिनांक 10.3.2000 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.01 के द्वारा निम्नलिखित विभागों के लिए निम्नानुसार ऑडिट समितिया गठित है :–

1. स्थानीय निकाय विभाग
2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. पंचायती राज विभाग
4. कृषि विभाग
5. महिला एवं बाल विकास विभाग

राज्य स्तरीय विभागीय ऑडिट कमेटी :–

विभागीय राज्य स्तरीय समितियों की संरचना निम्न प्रकार है :–

संबंधित शासन सचिव	अध्यक्ष
संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण)	सदस्य
वित्तीय सलाहकार/मु0लेखाधिकारी/व0 लेखाधिकारी (विभाग/संस्था में पदस्थापित लेखा सेवा वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

संभागीय स्तरीय समिति :–

संभागीय स्तर पर ऑडिट प्रतिवेदनों के निरस्तारण हेतु निम्न समिति गठित है :–

संबंधित संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
संभाग के समस्त जिला कलेक्टर	सदस्य
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
निदेशक, कृषि विपणन विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
प्रशासक कृषि विपणन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता स्तर से कम न हो	सदस्य
आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
संबंधित संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

जिला स्तरीय समिति :–

जिला स्तर पर इस विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना का अनुश्रवण करने हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित है :–

जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
प्रशासक कृषि विपणन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता स्तर से कम न हो	सदस्य
निदेशक, कृषि विपणन विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

बजट

इस विभाग की प्राप्तियों का स्त्रोत अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं से प्राप्त अंकेक्षण शुल्क है। विभाग द्वारा संस्थाओं के अंकेक्षण सम्पादित करने पर वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। दिनांक 1.08.2011 से प्रभावी अंकेक्षण शुल्क की दरें निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	संस्था का नाम	अंकेक्षण शुल्क की संशोधित दरें
1	जिला परिषद	रू. 10,000 /— प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समिति	रू. 24,000/— प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रू. 3000/—प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत प्रति जाँचदल
4	इन्दिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
5	जयपुर विकास प्राधिकरण	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
6	नगर पालिकायें/परिषदें/निगम	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
7	आवासन मण्डल/अधीनस्थ कार्यालय	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
8	नगर विकास न्यास	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
9	आवास विकास संस्थान	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
10	कृषि विपणन बोर्ड	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
11	कृषि उपज मण्डी समिति	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
12	जिला महिला विकास अभिकरण	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
13	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाऐं	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
14	शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अकादमियाँ	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल
15	अन्य स्थानीय निकाय/ संस्था	रू. 3000 /—प्रतिदिन प्रति जाँचदल

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

विभाग का व्यय मुख्यतया कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं कार्यालय व्यय से सम्बन्धित होता है।

निदेशालय के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के बजट की दिनांक 31.12.13 तक की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट मद 2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन, 098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 01 निदेशक स्थानीय निधि लेखा (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान व्यय निम्न प्रकार रहा :–

राशि लाखों में

क्र.सं.	उपमद	विनियोजन की इकाई	मूल अनुदान (B.E.)	संशोधित अनुदान	वास्तविक व्यय 31.03.14 तक
1	संवेतन	01	2300.00	2250.00	216.29
2	यात्रा व्यय	03	100.00	110.00	100.63
3	चिकित्सा व्यय	04	18.00	22.00	21.79
4	कार्यालय व्यय	05	31.99	31.99	29.40
5	वाहनों का क्रय	06	0.01	0.01	0.00
6	वाहन संधारण	07	0.45	0.45	0.44
7	किराया कर एवं रॉयल्टी	09	10.67	10.39	10.30
8	विविध व्यय	28	0.01	0.01	0.00
9	डिक्री संबंधी व्यय	32	0.01	0.01	0.00
10	वाहन किराया	36	18.36	17.20	15.15
11	वर्दी व्यय	37	0.94	0.86	0.68
12	संविदा व्यय	41	17.00	17.00	15.84
	योग		**2497.44**	**2459.92**	**2210.57**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

अंकेक्षण प्रक्रिया

1. विभाग का मुख्य कार्य पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, कृषि उपज मंडी समितियों आदि संस्थाओं का वार्षिक अंकेक्षण करना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाती है।

2. राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किसी भी संस्था की भी विशेष जाँच/अंकेक्षण कराया जा सकता है।

3. विभाग का अंकेक्षण वर्ष 1 जून से प्रारम्भ हो कर 31 मई को समाप्त होता है। अंकेक्षण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही अंकेक्षणाधीन संस्थाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इस हेतु विभाग द्वारा अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः 15 मई से पूर्व संस्थावार/ अंकेक्षण दलवार अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किया जाता है एवं अंतिम सूचना सम्बन्धित संस्थाओं को दी जाती है।

4. संस्थाओं द्वारा अंकेक्षण दल को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 6 एवं 7 के अन्तर्गत उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु विभाग को संस्था के नियंत्रक अधिकारी की अनुमति अपेक्षित होती है।

5. संस्थाओं के अंकेक्षण समाप्ति के 3 माह में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः अंकेक्षण समाप्ति के 15 दिवस में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करने की व्यवस्था है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा–10 एवं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम–28 के अनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के तीन माह में प्राप्त होना अपेक्षित है।

6. प्रतिवेदनों में दर्शाई गई गंभीर अनियिमतताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत सरचार्ज/चार्ज/अन्य राशि वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है ताकि संस्थाओं को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एवं अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।

7. सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अंकेक्षण दलों का उनके कार्य के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

8. अंकेक्षण दलों के विरूद्व शिकायतों आदि के संबंध में निदेशालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं अंकेक्षण दलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

II सामान्यतः पाई जाने वाली अनियमितताऐं/कमियाँः–

इस विभाग द्वारा नियमित रूप से स्वायत्तशाषी संस्थाओं का अंकेक्षण किया जाता है। कुछ अनियमितताऐं ऐसी हैं जो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण में पायी जाती हैं एवं इनको रोकने हेतु संस्था द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी अनियमितताओं का संस्थावार विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) पंचायतीराज संस्थाएँ–

1. संस्था द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
2. विभिन्न योजनाओं की राशि अवरूद्व करना एवं इन योजनाओं की निधियों के उपयोग का अभाव।
3. बंद/समाप्त हो चुकी योजनाओं की अप्रयुक्त राशि केन्द्रीय/राज्य सरकार को वापस का अभाव।
4. योजनाओं में आवंटित राशि से अधिक व्यय करना।
5. पी.डी. खाता एवं बैंक खाता शेषों की रोकड़ बही के शेषों से मिलान का अभाव।
6. स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना।
7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने का अभाव।
8. अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होना।
9. संस्था की परिसम्पत्तियों को किराये पर दिये जाने में अनियमितता एवं किराया राशि की वसूली का अभाव।
10. शिक्षा उपकर की राशि वसूली का अभाव एवं संस्था कोष में जमा कराने का अभाव।
11. पंचायतों द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141,143, 156 आदि के अन्तर्गत भू–आवंटन में अनियमितता एवं इससे वित्तीय हानि।
12. पंचायत/पंचायत समिति द्वारा सामग्री क्रय/निर्माण कार्यो में अनियमितताऐं।
13. बैंक से राशि आहरित कर कैशबुक में अंकन नहीं कर गबन।
14. कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि/राज्य बीमा की राशि संबंधित खातों में जमा कराने का अभाव।

(ब) स्थानीय निकाय विभाग

1. संस्था द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
2. स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना।
3. रोड कटिंग/गृहकर/नगरीय कर की वसूली का अभाव।
4. संस्था की परिसम्पत्तियों के किराये की नियमित वसूली का अभाव।
5. भूमि विक्रय/खांचा भूमि विक्रय आदि में अनियमितताऐं।
6. भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनियमितताऐं।
7. विभिन्न ठेकेदारों/कर्मचारियों/संस्था को दी गई अग्रिम राशि के समायोजन/ वसूली का अभाव।

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

8. संस्था द्वारा शहरी जमाबंदी (लीज) राशि की बकाया एवं नियमित वसूली का अभाव।
9. लीज अवधि समाप्ति के पश्चात् संशोधित लीज डीड सम्पादित नहीं करना एवं लीज राशि वसूली का अभाव।

(स) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास–

1. पट्टा रजिस्टर एवं इससे सम्बन्धित पत्रावलियों के संधारण का अभाव।
2. लीज राशि सम्बन्धी रजिस्टर संधारण का अभाव/लीज राशि की बकाया एवं नियमित वसूली का अभाव।
3. परिसम्पत्तियों के किराया वसूली का अभाव।
4. भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनियमितताऐं, गलत दर से शुल्क एवं लीज की गणना करने से हानि।
5. भू–खण्ड नीलामी के प्रकरणों में आवंटी से पेनल्टी एवं ब्याज राशि वसूली का अभाव।
6. परिधीय विकास शुल्क/बाह्य शुल्क की गणना गलत दर से करने से हानि।
7. निर्धारित अवधि के पश्चात् लीज समाप्ति के बावजूद लीज डीड संशोधित नहीं करने एवं लीज राशि वसूली का अभाव।
8. अग्रिम राशि के समायोजन/वसूली का अभाव।

(द) आवासन मंडल

1. लीज राशि सम्बन्धी रजिस्टर के संधारण का अभाव/लीज राशि की नियमित बकाया वसूली का अभाव।
2. संवेदकों के साथ किये गये अनुबंध की शर्त संख्या 2 के तहत पेनल्टी वसूल नहीं कर स्वविवेक से पेनल्टी लगाने के कारण संवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाना।
3. निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले खनिजों की रॉयल्टी वसूली का अभाव।
4. निर्मित मकानों/परिसम्पत्ति के निस्तारण के अभाव में भारी राशि का अवरूद्ध होना।
5. किराया क्रय पद्धति पर आवंटित मकानों के आवंटियों से बकाया/नियमित वसूली का अभाव।

(य) कृषि उपज मण्डी समितियाँ:–

1. दुकानों, गोदामों के किराया वसूली का अभाव।
2. व्यापारियों द्वारा टीनशैडों का किराया नहीं देना।
3. निर्मित मण्डियों में दुकानों आदि का आवंटन नहीं होना।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

दिनांक 31.3.2014 को समाप्त हुई अवधि में अंकेक्षण कार्यो की मासिक प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष में किया जाने वाला अंकेक्षण जून,13	पूर्व के बकाया अंकेक्षण वर्ष		किये जाने वाले अंके. वषो का योग	अंकेक्षित वर्षो का योग			कुल योग	31.03.14 को अवशेष रहा अंकेक्षण			कुल अवशेष रहे अंकेक्षण वर्ष
							बकाया वर्षो का				बकाया वर्षो का		
			वर्ष 80–81 तक	वर्ष 80–81 के पश्चात्		चालू वर्षो का	वर्ष 80–81 तक	वर्ष 80–81 के पश्चात्		चालू वर्षो का	वर्ष 80–81 तक	वर्ष 80–81 के पश्चात्	
1.	पंचायती राज विभाग												
	(i)जिला परिषदें	**33**	**0**	**30**	**63**	13	0	18	**31**	20	0	**12**	32
	(ii) पंचायत समितियां	**249**	**3**	**300**	**552**	48	0	96	**144**	201	3	**204**	408
	(iii)ग्राम पंचायतें	**9176**	**4522**	**15353**	**29051**	1982	0	3847	**5829**	7194	4522	**11506**	23222
	कुल योग	**9458**	**4525**	**15683**	**29666**	2043	0	3961	**6004**	7415	4525	**11722**	23662
2.	स्थानीय निकाय विभाग												
	(i) नगर निगम	**6**	**0**	**5**	**11**	0	0	0	**0**	6	0	**5**	11
	(ii) नगर परिषद	**35**	**0**	**31**	**66**	8	0	8	**16**	27	0	**23**	50
	(iii)नगर पालिका	**148**	**2**	**215**	**365**	20	0	32	**52**	128	2	**183**	313
	कुल योग	**189**	**2**	**251**	**442**	28	0	40	**68**	161	2	**211**	374
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग												
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	**1**	**0**	**2**	**3**	0	0	0	**0**	1	0	**2**	3
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	**1**	**0**	**1**	**2**	0	0	0	**0**	1	0	**1**	2
	(ii)राजस्थान आवासन मण्डल	**47**	**0**	**64**	**111**	11	0	21	**32**	36	0	**43**	79
	(iii) नगर सुधार न्यास	**16**	**0**	**11**	**27**	3	0	5	**8**	13	0	**6**	19
	कुल योग	**65**	**0**	**78**	**143**	14	0	26	**40**	51	0	**52**	103
4.	कृषि विभाग												
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	**23**	**0**	**51**	**74**	6	0	18	**24**	17	0	**33**	50
	(ii) कृषि उपज मण्डी समिति	**128**	**2**	**160**	**290**	34	0	47	**81**	94	2	**113**	209
	कुल योग	**151**	**2**	**211**	**364**	40	0	65	**105**	111	2	**146**	259
5.	जिला महिला विकास अभिकरण	**33**	**0**	**52**	**85**	14	0	34	**48**	19	0	**18**	37
6.	अन्य संस्थायें												
	(i)देवस्थान विभाग	**11**	**0**	**39**	**50**	4	0	19	**23**	7	0	**20**	27
	(ii)पैन्शनर्स चिकित्सा रियायती योजना	**37**	**0**	**39**	**76**	7	0	8	**15**	30	0	**31**	61
	(iii)मु.मं. अकाल बाढ सहा. कोष	**33**	**0**	**75**	**108**	9	0	17	**26**	24	0	**58**	82
	(iii) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
	(v)जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
	(v) अन्य	**21**	**0**	**70**	**91**	1	0	6	**7**	20	0	**64**	84
	योग	**102**	**0**	**223**	**325**	21	0	50	**71**	81	0	**173**	254
	महायोग	**9998**	**4529**	**16498**	**31025**	2160	0	4176	**6336**	7838	4529	**12322**	24689

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional